

## फार्म

'प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2010

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दिलीपराज द्विवेदी, उच्च शिक्षा 2. वर्तमान धारीत पद उप सचिव, परिवहन विभाग

3. वर्तमान वेतन 17010 + अन्य भत्ते अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2010


उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया*** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शहडोल, सोहानपुर जिला शहडोल	गृह, लगभग 800 वर्गफुट	लगभग 1800 वर्गफुट	06 लाख	स्वयं के नाम पर	वर्ष 2003 में सानरति यादव से कय	निरंक	
शहडोल, सोहानपुर कल्याणपुर	गृह, लगभग 800 वर्गफुट	02 एकड़ कृषि भूमि	ज्ञात नहीं	श्रीमति प्रभा द्विवेदी पत्नी	पैतृक संपत्ती श्री मायाशंकर पाण्डेय, ग्राम कल्याणपुर जिला शहडोल वर्ष 2005 में	लगभग रु. 8,000.00	
		1.60 एकड़ कृषि भूमि					

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

\*\*\* इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(6) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....  


नाम : डॉ०दिलीप राज द्विवेदी

(मूलतः प्राध्यापक)

पद : उप सचिव

विभाग: परिवहन विभाग

